

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES



ISSN 2277 – 9809 (online)

ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

कार्योजित महिलाओं का उत्पीड़न—एक अध्ययन

Harassment of Employed Women - A Study

डा० शक्ति गुप्ता
असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान
राजकीय महाविद्यालय, मौदहा (हमीरपुर)

सारांश

वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा, धर्म, राजनीति और सम्पत्ति में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे।

स्त्रियों को स्वच्छन्दतापूर्वक विचरण करने और सामाजिक सम्बन्धों की स्थापना करने के अधिकार प्राप्त थे। यद्यपि विधवा विवाह पर भी कोई नियन्त्रण नहीं था, लेकिन सम्भवतः स्त्रियां स्वयं ही ऐसे विवाहों को प्रोत्साहन नहीं देती थीं। विवाह केवल परिपक्व आयु में ही होते थे और कभी-कभी तो स्त्रियां अपनी इच्छा से सम्पूर्ण जीवन ब्रह्मचारी रह कर ही व्यतीत कर देती थीं। समाज में स्त्रियों का अपमान करना सबसे बड़ा पाप था और स्त्रियों की रक्षा करना सबसे बड़ी वीरता थी। यद्यपि इस समय भी पुत्री की अपेक्षा पुत्र के जन्म को अधिक महत्व दिया जाता था, लेकिन ऐसा केवल धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के दृष्टिकोण से ही था।

In the Vedic period, women had equal rights as men in education, religion, politics and property.

Women had the right to move freely and establish social relations. Although there was no control on widow remarriage, perhaps women themselves did not encourage such marriages. Marriages took place only at a mature age and sometimes women of their own volition used to spend their whole life as celibate. Insulting women was the biggest sin in the society and protecting women was the biggest bravery. Although at this time also the birth of a son was given more importance than that of a daughter, but it was only from the point of view of fulfillment of religious duties.

मुख्य शब्द: निर्योग्यताएं—निषेध, उत्पीड़न—शोषण, दुर्व्यवहार—शारीरिक/मानसिक/शाब्दिक, परिस्थिति—प्रस्थिति/पद।

Disabilities – Prohibition, Harassment – Exploitation, Abuse – Physical / Mental / Verbal, Situation – Situation / Position.

प्रस्तावना

वैदिक हिन्दू संस्कृति में स्त्रियों की स्थिति अत्यधिक उच्च होते हुए भी ईसा के लगभग 300 वर्ष पहले से ही उनके अधिकार कम होना आरम्भ हो गए और बाद में अनेक परिस्थितियों के कारण स्त्रियों की सामाजिक स्थिति 'दासत्व' के स्तर तक पहुँच गई। स्त्रियों की स्थिति के इस कल्पनातीत हास को निम्नांकित प्रमुख कारकों के आधार पर समझा जा सकता है।

अनेक स्त्री-संगठनों ने स्त्रियों में जागरूकता उत्पन्न करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। यद्यपि 1875 से ही 'भारतीय महिला राष्ट्रीय परिषद' की स्थापना हो जाने के बाद महिलाओं को संगठित करने का कार्य आरम्भ हो चुका था, लेकिन सर्वप्रथम श्री रानाडे और डॉ० एनी बेसेण्ट के प्रयत्न से समस्त महिला संगठनों को एक जुट होकर सुधार करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके फलस्वरूप 1929 में विभिन्न संगठनों ने एक होकर 'अखिल भारतीय-महिला सम्मेलन' का गठन किया। पूना में इसके प्रथम अधिवेशन के समय स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने पर बल दिया गया और एक प्रस्ताव के द्वारा सरकार से मांग की गई कि सम्पत्ति, विवाह और नागरिकता से सम्बन्धित स्त्रियों की परम्परागत नियोग्यताएं कानून के द्वारा समाप्त हो जाएं। स्त्रियों को शिक्षा देने के दृष्टिकोण से दिल्ली के 'लेडी इरविन कालेज' की स्थापना भी इसी संस्था के द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त अन्य महिला संघों ने भी स्त्रियों में जागरूकता उत्पन्न करने तथा उन्हें रूढ़िगत जीवन से बाहर निकाल कर संगठित रूप से कार्य करने का प्रोत्साहन दिया। ऐसे संगठनों में

विश्वविद्यालय महिला संघ, 'भारतीय ईसाई-महिला मंडल', 'अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्था तथा कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट' आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसी क्रम में उ०प्र० शासन द्वारा वर्ष 2020-2021 में महिला सशक्तिकरण की दिशा में 06 माह का मिशनशक्ति कार्यक्रम संचालित किया गया।

अध्ययन का उद्देश्य

वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य समसामयिक समाज में कार्यरत महिलाओं के उत्पीड़न का आकलन करना है। निरन्तरता एवं परिवर्तन के मध्य भारतीय समाज के संदर्भ में सबसे बड़ी विडम्बना यही रही है कि यहाँ इक्कीसवीं सदी में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जो असभ्य समाज में व्याप्त था। प्रस्तुत अध्ययन के निम्नांकित उद्देश्य हैं :

1. कार्यरत महिलाओं के उत्पीड़न का समाज शास्त्रीय विश्लेषण।
2. महिला उत्पीड़न के कारणों की समीक्षा करना।
3. कार्यरत महिलाओं की अभिनव प्रवृत्तियों का पता लगाना।

4. कार्यरत महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण का विश्लेषण करना।
5. महिलाओं के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण का विश्लेषण करना।
6. समाज में महिलाओं के प्रति दुर्यवहार की समीक्षा करना।
7. महिला शिक्षा की स्थिति का विश्लेषण करना।
8. रोजगार एवं शिक्षा के प्रति महिलाओं में जागृति का विश्लेषण करना।
9. समाज में महिलाओं की निम्न परिस्थिति के कारणों की समीक्षा करना।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए तथ्यों के संकलन हेतु उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड के जनपद झांसी नगर का चयन किया गया है। झांसी का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। बुन्देलखण्ड के दो मण्डलों में से एक झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ही वायु मार्ग तथा ब्राडगेज रेलवे से जुड़ा हुआ है। ऐसी गौरवशाली नगरी को शोध अध्ययन का हेतु चुना गया है। अध्ययन क्षेत्र की 300 महिलाओं को उत्तरदात्री के रूप में चुनकर साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्य को संकलित किया गया है। समय, उपलब्ध संसाधन तथा आर्थिक संसाधनों का ध्यान में रखकर क्षेत्र को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण

समसामयिक भारतीय समाज में महिला उत्पीड़न या महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्या गम्भीर रूप धारण कर ली है महिलाओं की प्रति अनेक प्रकार के गंभीर अपराध घटित किये जा रहे हैं। उदाहरणार्थ भारतीय समाज में बलात्कार, हत्या, छेड़खानी, अपराध, दहेज सम्बन्धी हत्या, पत्नी को पीटना, विधवाओं के प्रति हिंसा आदि रूपों में महिलाओं को उत्पीड़न किया जा रहा है। समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं है जहाँ महिलाओं का उत्पीड़न न किया जा रहा है। प्रस्तुत अध्ययन कार्याजित महिलाओं का उत्पीड़न विषय के अन्तर्गत शोधार्थिनी महिलाओं के उत्पीड़न से सम्बन्धित कारणों को विशेष तथ्यों के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास करेगी जिससे शोध अध्ययन की उपयोगिता एवं महत्व विशेष रूप से स्पष्ट होता है।

भारतीय समाज में जहाँ प्राचीन काल से ही महिलाओं को देवी का स्वरूप प्रदान किया गया है। आज वही समाज उनके उत्पीड़न में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रहा है। इसके क्या कारण हैं ? इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। महिलाओं का उत्पीड़न करने से समाज के उस प्रभुवर्ग (पुरुष) को क्या मिल रहा है और इस समस्या के पीछे कौन से कारण छिपे हुये हैं ? इन सभी तथ्यों को खोजने और उन्हें स्पष्ट करने से शोध कार्य की उपयोगिता बढ़ जाती है क्योंकि समाज का आधा हिस्सा इस गम्भीर समस्या से ग्रसित है जो किसी न किसी रूप में अनवरत देखा जा रहा है।

शोध अध्ययन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने तथा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कतिपय उप-कल्पनाओं का निर्माण किया गया है।

किसी व्यक्ति के विवाह-पूर्व की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसके परिवार के उस सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश तथा भौतिक एवं अभौतिक वातावरण को प्रकट करती है, जिसमें वह जन्म लेता है और उसका भरण-पोषण होता है, वह परिवेश, जिसमें वह शिक्षा प्राप्त करता है और जिसमें उसके विवाह के पूर्व के जीवन का ढांचा प्रकट होता है। समाज की एक महत्वपूर्ण अभिन्न इकाई होने के कारण परिवार उसी समाज-विशेष की सांस्कृतिक परम्परा को स्वयं में आत्मसात करता है। चूँकि संस्कृति सीखने-सिखाने की प्रतिक्रियाओं द्वारा संचारित होती है, चाहे वे प्रतिक्रियाएं औपचारिक हों अथवा अनौपचारिक हो, अतः संस्कृति का अनिवार्य अंग उन ढांचों में पाया जाता है जो एक समूह की सामाजिक परम्पराओं व रीति-रिवाजों में निहित है, इसका तात्पर्य यह है कि यह उस समूह के प्रचलित ज्ञान, आचार-विचारों, धारणाओं, मान्यताओं, विश्वासों, आस्थाओं, स्तरों तथा भावनाओं में निहित है।

शिक्षित विवाहित कार्यरत महिलाएं विवाह से पूर्व 75 प्रतिशत संयुक्त परिवारों में रही हैं और 25 प्रतिशत एकाकी परिवारों में रहीं हैं। अध्ययन में यह पाया गया कि एकाकी परिवारों में लड़कियों को अधिक स्वतंत्रता-पूर्ण जीवन, अधिक सुविधाएं प्राप्त थीं। संयुक्त परिवारों में प्रतिबन्ध थोड़े अधिक पाए गए हैं।

शिक्षित विवाहित कार्यरत महिलाओं के मायके में उनके पिता उपरोक्त 6 प्रकार से अर्थोपार्जन करते हैं। 33.4 प्रतिशत व्यापार, 25 प्रतिशत कृषि, 8.3 प्रतिशत को सम्पत्ति से आय, 25 प्रतिशत नौकरी, 3.3 प्रतिशत डॉक्टर, 5 प्रतिशत वकालत करते थे। सबसे अधिक प्रतिशत व्यापार करने वाले परिवारों का रहा। उसके बाद कृषि करने वालों का रहा।

शिक्षित विवाहित कार्यरत महिलाओं ने विवाह से पूर्व 25 प्रतिशत निम्न वर्ग, 16.7 प्रतिशत निम्न-मध्य वर्ग, 33.4 प्रतिशत मध्यम वर्ग, 16.6 प्रतिशत उच्च-मध्य व 8.

3 प्रतिशत महिलाओं ने उच्च आर्थिक स्तर में जीवनयापन किया।

महिलाओं के विचारों, आदतों और रहनसहन पर उनके विवाह पूर्व के परिवार की आर्थिक स्थिति का पूर्ण प्रभाव देखा गया। जो महिलाएं उच्चवर्गीय पारिवारिक की हैं, उन्हें महंगे कपड़े पहनना, घर को सुव्यवस्थित रखना, अच्छा खाना, घूमने आदि का शौक है और विपरीत पारिवारिक पृष्ठभूमि में फिर उनका टकराव प्रायः इस आधार पर होता है। आर्थिक अभाव को बर्दाश्त कर पाना उनके वश की बात नहीं। किन्तु जो महिलाएं मध्यमवर्ग की हैं, वे गृहस्थी का संचालन मितव्ययिता और उचित सूझबूझ के साथ करना ठीक समझती हैं। ज्यादा फिजूलखर्ची उन्हें पसन्द नहीं।

पारिवारिक परिस्थितियों का महिलाओं की मनःस्थिति पर पूरा-पूरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि किसी स्त्री के परिवार में पारिवारिक विघटन रहा है, तो निश्चित रूप से उसके स्वभाव, हाव-भाव में अन्तर होगा अपेक्षाकृत उसके, जिसका पारिवारिक वातावरण स्नेहपूर्ण और मधुर रहा हो। अतः स्त्रियों के व्यवहार, आदतों में माध्यम के परिवार की विशेष भूमिका होती है। उनके व्यक्तित्व पर उनके मायके के परिवार के संस्कार उसके जीवन में आजीवन विद्यमान रहते हैं। उनके संस्कारों से विमुख होना उसके लिए सम्भव नहीं होता।

महिलाओं के लिए शिक्षा में सर्वाधिक योगदान उनके पिता का है, द्वितीय माता का है, तृतीय भाई का। मुख्य रूप से शिक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाना भी माता-पिता का कर्तव्य। भाई, बहन, बाबा, दादी, या नाना, नानी का योगदान सिर्फ उन महिलाओं के ही जीवन में है, जिनके माता-पिता नहीं हैं। कहीं-कहीं पर यह पाया गया है कि माता-पिता अत्यन्त रूढ़िवादी हैं। बहनों का भी योगदान रहा है, उनकी शिक्षा में महिलाओं का शैक्षिक स्तर भी अलग-अलग है।

विवाह के पश्चात् नौकरी करने वाली महिलाओं का परिवार के साथ अनुकूलन उनकी नौकरी से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। नौकरी करने वाली महिला का दायित्व चूँकि दोहरा हो जाता है, उसे नौकरी और परिवार दोनों की देखभाल करनी होती है, तो उसके सम्मुख कुसामंजस्य की समस्या आ खड़ी होती है। दोनों में उचित समायोजन बनाए रखना वास्तव में उसके लिए कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए कामकाजी महिला छोटे बच्चे का पालन-पोषण के लिए परिवार के सदस्यों पर या नौकरानी पर निर्भर करती हैं। कार्य संस्थान में आते समय बच्चों को छोड़ना ही पड़ता है। बच्चे की देखभाल यदि परिवार के सदस्य करें, तो वह भी अक्सर नाराज हो उठते हैं और यदि नौकरानी करें तो उस पर इतना विश्वास नहीं होता। महिला के लिए दोनों स्थिति चुनौतीपूर्ण होती हैं।

शोध में पाया गया कि अभिरुचियों के कारण भी प्रायः परिवार के अन्य सदस्यों से टकराव हो जाया करता है, परन्तु महिलाएं ऐसी स्थिति में बात को न बढ़ा कर अनुकूलन ही स्थापित कर लेती हैं। अभिरुचि के कारण कहीं पारिवारिक अनुकूलन असफल रहा हो, ऐसा नहीं है।

साक्षात्कार व निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है जो अपनी वर्तमान परिस्थितियों से सन्तुष्ट नहीं हैं, पारिवारिक तनाव को सह रही हैं। तथापि परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने का साहस उनमें है। केवल 33.3 प्रतिशत महिलाएं ऐसी थीं, जिनके जीवन में घोर निराशा व्याप्त थी तथा वे जीवन के प्रति उदास थीं।

33.3 प्रतिशत महिलाएं संयुक्त परिवारों में रह रही हैं और 66.7 प्रतिशत महिलाएं एकाकी परिवारों में रह रही हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में संयुक्त परिवारों का प्रतिशत एकाकी परिवारों की तुलना में कम है।

0–1000 रुपये औसत मासिक आय वाले परिवार 25 प्रतिशत, 1000 से 2000 रुपये मासिक आय वाले परिवार 33.4 प्रतिशत, 2000–3000 रुपये औसत मासिक आय वाले परिवार 33.4 प्रतिशत, 3000–4000 रुपये औसत मासिक आय वाले परिवार 5 प्रतिशत, 4000 रुपये से अधिक औसत मासिक आय वाले परिवार 3.2 प्रतिशत हैं।

300 कार्यरत महिलाओं में से 175 महिलाओं के प्रति अधिकारियों का व्यवहार सामान्य था, जबकि 75 महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार सन्तोषजनक और 50 महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार असन्तोषजनक पाया गया। जब उनसे यह पूछा गया कि उनके इस व्यवहार के प्रति आप उत्तरदायी हैं, या वे लोग, तो उन महिलाओं में से 250 महिलाओं ने इस व्यवहार के प्रति खुद को जबकि बची हुई महिलाओं ने अपने अधिकारियों को उत्तरदायी माना।

300 कार्यरत महिलाओं के अपने सहकर्मियों के साथ सम्बन्ध सामान्य थे, जबकि दूसरी ओर 50 महिलाओं ने अपने सम्बन्धों की प्रकृति को मधुर तथा शेष 50 महिलाओं ने अपने सम्बन्धों को तनावपूर्ण बतलाया। 150 कार्यरत महिलाओं को अपने सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त होता है। 100 महिलाएं सहकर्मियों का यदा-कदा सहयोग स्वीकारती हैं, जबकि 50 महिलाएं सहयोग से इन्कार करती हैं।

300 कार्यरत महिलाओं के परिवार के सदस्यों ने नौकरी का मुखर विरोध किया, जबकि 100 महिलाओं के परिवार इस मुद्दे पर शान्त रहे। 150 कार्यरत महिलाओं के अपने बच्चों के साथ मधुर सम्बन्ध थे, जबकि 120 महिलाओं के सम्बन्ध सामान्य तथा 30 के तनावपूर्ण पाए गए।

175 कार्यरत महिलाओं के अपने रिश्ते-नातेदारों से सम्बन्ध पाए गए, जबकि 75 महिलाओं ने अपने सम्बन्ध मधुर और 50 महिलाओं ने सम्बन्ध तनावपूर्ण स्वीकार किया।

175 कार्यरत महिलाओं के अपने पड़ोसियों से सम्बन्ध मधुर हैं, उन्होंने ही अपने पड़ोसियों के साथ किसी भी समस्या के निराकरण हेतु परस्पर सहयोग की बात कही, जबकि जिन 125 महिलाओं के पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध असन्तोषजनक व तनावपूर्ण रहे उन्होंने उपरोक्त तथ्य से इन्कार किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में महिलाओं ने शिक्षा, चिकित्सा, सामान्य रोजगार, प्रशासनिक सेवाओं, राजनीति, सामाजिक सेवा नई आदि क्षेत्रों में आगे आई हैं तथा महिला संगठनों की संख्या व प्रभाव में वृद्धि हो रही है। साथ ही पंचायती राज सम्बन्धी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सरकारी की संख्या में महिलाओं ने पद प्रतिनिधित्व का दर्जा प्राप्त किया है। आमतौर पर महिलाओं की पढ़ाई, नौकरी व शादी सम्बन्धी सामाजिक धारणाओं में सकारात्मक परिवर्तन आने प्रारम्भ हो रहे हैं। हमारा वर्तमान समाज अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के साथ-साथ स्वच्छन्दता जिसे आधुनिकता भी कहा जाता है की ओर भी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। आश्चर्यजनक रूप से इसी के साथ बलात्कार, बालिका यौन शोषण, तलाक, महिला उत्पीड़न व महिला अपराध की घटनाएं भी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। यह समाज का निश्चय ही विडम्बनापूर्ण विरोधाभास है। जिस समाज में आर्थिक, स्वास्थ्य, शैक्षणिक व राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका तेजी से बढ़ती हुई बताई जा रही है, उसी समाज में उनके तिरस्कार, शोषण व अपमान का स्तर भी बढ़ता ही जा रहा है। प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों ? क्या अधिक से अधिक कानून बना कर ऐसी समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है ?

शहरी क्षेत्रों में बहुओं की दशा भी कुछ विशेष भिन्न नहीं है। कहने को तो यह कहा जाता है कि अशिक्षित व्यक्ति ही शोषण का विकार अधिक होता है, लेकिन शहरी क्षेत्र की शिक्षित बहुओं की दशा को यदि हम देखें तो यह कथन पूर्णतया असत्य साबित हो जाता है। बड़े-बड़े शहरों में हजारों की संख्या में शोषण का शिकार इस प्रकार की बहुएं मिल जाएंगी जो शिक्षित होते हुए भी उसी प्रकार शोषित हैं। वे समाज के डर के कारण सब कुछ सहन कर लेती हैं। कहने के भारत में स्त्रियों का शोषण उनके आर्थिक परावलम्बन के कारण है, लेकिन उन बहुओं को हम क्या कहेंगे जो प्रतिदिन पुरुषों की ही तरह दफ्तर में 8 घंटे काम करने के बाद भी अपने घर के उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से उठाने

पर मजबूर हैं। हमारे समाज की व्यवस्था ऐसी है जिसमें वह घर का काम करना सास अपनी तौहीन समझती है। आश्चर्य तब होता है कि ऐसा व्यवहार करने वाली सास ही अपनी लड़की के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता देखकर आग-बबूला हो जाती है व अपनी लड़की की सास से ऐसी अपेक्षा रखती है कि वह उसे पुत्री जैसा ही प्रेम व अपनत्व दे।

परम्परागत भारतीय समाज में मध्य और उच्च वर्ग की स्त्रियों का, विशेषकर विवाहित स्त्रियों का घर से बाहर नौकरी करना सम्मानजनक नहीं समझा जाता था। आर्थिक आवश्यकता तथा कठिनाइयों में ही इन वर्गों की स्त्रियों ने घरों से बाहर निकल कर नौकरी करनी शुरू की थी। आज तेजी से बदलती हुई सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विवाहित स्त्रियों द्वारा नौकरी करने को भी प्रायः अपमानजनक नहीं माना जाता है।

33.3 प्रतिशत कार्यरत महिलाओं के पारिवारिक सम्बन्ध मधुर थे। 41.7 प्रतिशत महिलाओं के अपने पारिवारिक सम्बन्ध सामान्य बताया, जबकि 25 प्रतिशत महिलाओं ने अपने पारिवारिक सम्बन्ध तनावपूर्ण स्वीकार किए।

100 कार्यरत महिलाओं के परिवार में तनाव था। उनमें से 30 महिलाओं ने अपने पति को उत्तरदायी बताया तथा 22 महिलाओं ने अपनी नौकरी तथा उससे सम्बन्धित परिस्थितियों को उत्तरदायी बताया, 20 महिलाओं ने अपने सास-ससुर को विवाद का कारण बताया तथा 15 महिलाओं ने अपने अन्य को पारिवारिक तनाव के लिए उत्तरदायी माना। 10 महिलाओं ने अपने रिश्तेदारों को तथा 3 महिलाओं ने अन्य को उत्तरदायी माना।

250 कार्यरत महिलाओं को पति उनके स्वतंत्र रूप से नौकरी करने से ईर्ष्या नहीं करते हैं, जबकि 50 महिलाओं ने कहा कि उनके पति उनसे ईर्ष्या रखते हैं क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से नौकरी कर रही हैं। एकाकी परिवार वाली कार्यरत महिलाओं में से अधिकांश महिलाओं को गृहकार्य में उनके पति सहयोग प्रदान करते हैं। कुछ महिलाओं ने यह भी बताया कि उनके पति परिवार के किसी भी कार्य में कोई सहयोग प्रदान नहीं करते, उन्हें अकेले ही सारे गृहकार्य करने पड़ते हैं।

कार्यरत महिलाओं को कार्य संस्थान के प्रति ईमानदारी से अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करना एक पारिवारिक समस्या का रूप लेता है। क्योंकि कार्य पर जाने के बाद महिलाओं को गृहकार्य के लिए यथेष्ट समय नहीं मिल पाता है। उनको नौकरी की सेवाएं लेना आवश्यक हो जाता है और जो महिलाओं को यह नहीं कर पाती हैं, उनके यहां प्रायः भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। कार्यरत महिलाओं को प्रमुख रूप से वस्त्रों की धुलाई, बर्तन स्वच्छ करना, खाना बनाना तथा पति की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल करने के कार्यों में नौकर की सहायता लेना आवश्यक हो जाता है।

परिणाम

शोध अध्ययन से जो परिणाम प्राप्त हुए वे निम्नवत हैं :-

1. कार्योंजित महिलाओं हेतु कठोर कानून के अभाव एवं कानून के व्यावहारिक पक्ष के विफल होने के कारण महिलाओं का उत्पीड़न जारी है।

2. कार्योजित महिलाओं के प्रति पुरुष वर्ग का दृष्टिकोण समानतावादी नहीं है।
3. भारतीय समाज में विकास एवं संसाधनों के बढ़ने के बावजूद भी महिलाओं की परिस्थिति में विशेष कमी नहीं हुई है।
4. कार्योजित महिलाओं को भी दहेज जैसी कुरीति के कारण उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है।
5. बढ़ती भौतिकता एवं आधुनिकता के कारण महिलाओं के उत्पीड़न में वृद्धि हो रही है।
6. भारतीय न्याय प्रणाली की मंथर गति कार्योजित महिलाओं के उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार है।
7. महिला वर्ग के प्रति पुरुष समाज में समरसता, समानता तथा प्रेम की भावना विलुप्त होना उत्पीड़न का एक कारण है।
8. विभिन्न संस्थाओं में कार्योजित महिलाओं की संख्या पुरुष वर्ग की तुलना में कम होने का कारण भी उनके उत्पीड़न का एक प्रमुख कारण है।
9. कार्योजित महिलाओं के उत्पीड़न में संस्था में उच्च पदधारित अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों पर दुरुपयोग किया जाता है।

सुझाव

कार्योजित महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने हेतु शोध से प्राप्त परिणामों के आधार पर निम्न सुझाव प्रस्तावित हैं –

1. भारतीय संविधान में उत्पीड़न रोकने हेतु जो कानून बनाये गये हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाये।
2. कार्योजित महिलाओं के प्रति पुरुष वर्ग का दृष्टिकोण परिवर्तित होना चाहिए। यह दृष्टिकोण समानतावादी हो।
3. भारतीय समाज में महिलाओं की परिस्थिति को पुरुष वर्ग के समान लाने हेतु परिणामात्मक प्रयास किये जाने चाहिए।
4. दहेज जैसे कानून का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
5. भारतीय न्याय प्रणाली की मंथर गति को तीव्र एवं प्रभावी बनायी जानी चाहिए जिससे उत्पीड़न में नियंत्रण किया जा सके।
6. संस्था तथा कार्यालय प्रमुख द्वारा यदि कार्योजित महिलाओं के उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायत आती है तो उसके निवारण हेतु प्रमुखों को तत्काल दण्डित किया जाना चाहिए।
7. महिला आयोग तथा महिलाओं हेतु कार्यरत संस्थाओं को उत्पीड़न के सम्बन्ध में सतत जागरूक रहने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. आहू, डा. प्रभा, भारतीय समाज में नारी, क्लासिक पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1996.
2. मिडल, गुलजार, धारा के विरुद्ध, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 1977.
3. 'सत्य' सुभाष चन्द्र, भारतीय नारी : कितनी जीती कितनी हारी, अनिल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1999.
4. मिश्रा, लक्ष्मीधर, वंचितों की व्यथा, मानक पब्लिकेशन्स प्रा.लि. दिल्ली 1997.
5. सिंह, डा. निशान्त, औरत, अस्मिता और अपराध, राजभाषा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002.

6. डा. मंजुलता, अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2004.
7. होरा, आशारानी, नारी शोषण : आईने और आयाम, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1994.
8. श्रीवास्तव, सुधरानी, महिलाओं के प्रति अपराध, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2003.
9. बाजपेयी, एस.आर., सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण, किताबघर, जयपुर, 1975.
10. कपूर, प्रमिला, “द चेंजिंग रोल एण्ड स्टेट्स ऑफ वीमेन” द इण्डियन फैमिली न द चेंज एण्ड चैलेंज ऑफ द सेवेन्टिस”, नई दिल्ली, स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्रा. लि., 1972.
11. कापड़िया, के.एम., “चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ हिन्दू मैरिज एण्ड फैमिली”, “सोशियोलॉजिकल बुलेटिन”, वर्ष 4, अंक 2, सितम्बर 1955।
12. हाटे, सी.ए., “हिन्दू वुमन एण्ड हर फ्यूचर”, बम्बई, न्यू बुक कंपनी, 1948.



EARN YOUR

MBA

WWW.IIMPS.IN



Accreditation & Ranking



UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

☎ 011-41005174

RESEARCH
GATEWAY

STOP PLAGIARISM



Arogyam Ayurveda
Holistic Healing through herbs



AROGYAM
ONLINE

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

परिवर्तन

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD



BLUE

Calms your Child's
Mind & Body

YELLOW

Promotes Concentration,
Stimulates the Memory

PINK

Evokes Empathy,
makes your Child Calm

RED

Excites and energizes
your Child's body

GREEN

Improves Reading speed
and Comprehension

www.parivartan4u.com



परिवर्तन

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY**

ISSN – 2250 – 1959 (O) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
COMMERCE, ARTS AND SCIENCE**

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES**

ISSN 2277 – 9809 (O) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSSH.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE
ENGINEERING AND TECHNOLOGY**

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM



**INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION**

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSSI.COM



**JOURNAL OF LEGAL STUDIES, POLITICS
AND ECONOMICS RESEARCH**

WWW.JLPER.COM

JLPE